

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक-6/9/2018

क्रमांक- 1766 /371/आउशि/अनु.ब./17. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक- 3305/38-1/88, भोपाल, दिनांक 03/08 नवम्बर-1988 एवं पृ0 क्र0 3306 दिनांक 3/8 नवम्बर 88 एवं पृ0 क्र0 डी.362/89/सी-3/38 दिनांक 17.2.89, क्रमांक- एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28 अक्टूबर-1999 तथा क्रमांक- एफ-1 (43)/05/1/अइतीस, भोपाल, दिनांक 29.1.2008 एवं आदेश क. एफ-1-35/07/1-38 दिनांक 25 अगस्त 2009 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों/प्रिंसिपल/कीडाधिकारी को उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम-3 में अंकित दिनांक से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (3000-5000/10000-15200) /प्रवर श्रेणी वेतनमान(3700-5700/12000-16300) में स्थानन किया जाता है:-

| स.क्र. | सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम | वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान स्थानन की तिथि |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| यमुना प्रसाद शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय,सेमरिया(सीवा) | | |
| 1 | डॉ.पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय, कीडाअधिकारी | 13.1.11 (प्रवर श्रेणी) |
| सैफिया कला वाणिज्य एवं विधि महावि.भोपाल | | |
| 2 | डॉ.नुजहत शाहीन सहा.प्रा. राजनीतिशास्त्र | 28.7.03 (प्रवर श्रेणी) |
| 3 | श्रीमती अनिता गुप्ता, सहा.प्रा. समाजशास्त्र | 29.6.16 (प्रवर श्रेणी) |
| 4 | डॉ.नफीस अहमद खान सहा.प्रा. वाणिज्य | 31.12.17 (प्रवर श्रेणी) |
| जानकी रमण महाविद्यालय,जबलपुर | | |
| 5 | डॉ.शक्ति सिंह मण्डलोई, कीडा अधिकारी | 27.7.98 (प्रवर श्रेणी) |
| 6 | श्रीमती चित्रलेखा बैनर्जी, सेनि सहा.प्रा. अंग्रेजी | 27.7.98 (प्रवर श्रेणी) |
| हितकारिणी महिला महाविद्यालय,जबलपुर | | |
| 7 | डॉ.सुनीता श्रीवास्तव, सहा.प्राध्या.अर्थशास्त्र | 31.3.2000 (वरिष्ठ श्रेणी) 31.3.05 (प्रवर श्रेणी) |


2. उक्त वेतनमान में वेतन का भुगतान कार्यालय,आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के वेतन निर्धारण दल द्वारा अनुमोदन तथा प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण पर्ची जारी करने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा-

- (1) शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्ची जारी करने के पूर्व, त्रुटिपूर्ण एवं अधिक भुगतान संबंध की वसूली हेतु वचन पत्र प्राप्त करें ।
- (2) यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जांच / लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में, शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्ची जारी न करते हुए, वस्तुस्थिति से आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को अवगत करावें ।

निरंतर....2


- (3) संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे हैं ।
- (4) शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)


(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल
भोपाल, दिनांक- 6/9/2018

पृ0क0- 1767 /3711 आउशि/अनु.ब./17
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
6. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश ।
8. प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी, संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश ।
9. कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
10. वि.क.अ.(आई.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
11. प्राचार्य, संबंधित अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश । कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध करावे ।
12. कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित सहायक प्राध्यापक, अशासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महावि0,मध्यप्रदेश ।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश